न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– राजेन्द्र विजय आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01/2013

बउनवान

सरकार जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां जिला बारां (राज.) **(सायल)**

बनाम

राजकुमार उर्फ बंटी पुत्र रामस्वरूप जाति–सोनी उम्र–35 साल
निवासी–भैरूपाडा अन्ता थाना–अन्ता जिला–बारां(राज0) **(गैरसायल)**

अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. **(सायल)**

2– श्री भगवान सिह, अभिभाषक **(गैरसायल)**

निर्णय दिनांक– 24.02.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल राजकुमार उर्फ बंटी पुत्र रामस्वरूप जाति–सोनी उम्र–35 साल निवासी–भैरूपाडा अन्ता थाना–अन्ता जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी अन्ता जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि थाना अन्ता क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल राजकुमार उर्फ बंटी की आम शोहरत खराब है। इसके विरूद्व थाना अन्ता में जुआ–सट्टा खेलना व खिलाने एवं लडाई झगडा व उपद्रव करने के 4 प्रकरण पंजीबद्ध है। सभी में न्यायालय द्वारा दोषसिद्व ठहराया जा चुका है। इस अपराधी की गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसके डर के कारण आसपास के मौहल्ले वाले सभ्य एवं गरीब व्यक्ति इसके खिलाफ थाने में शिकायत व रिपोर्ट कराने में भी कतराते है तथा इससे भय खाते है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में कानूनी एवं शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा है। अपराधी का स्वतंत्र रहना लोकशांति [illegible] नहीं है।

अतः गैरसायल राजकुमार उर्फ [illegible] पुत्र रामस्वरूप जाति–सोनी निवासी–भैरूपाडा अन्ता जिला बारां [illegible] नियंत्रण रखने व क्षैत्र मे शांति व्य[illegible] प्रभावी अंकुश एंव जाकर उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत [illegible] से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल की तलबी

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

की गई। गैरसायल दिनांक 26.02.2013 को उपस्थित हुआ। किन्तु गैरसायल द्वारा आदिनांक तक अपने पक्ष समर्थन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में गैरसायल का हाजरी माफी प्रार्थनापत्र पर आज बहस ए.पी.पी. अभियोजन पक्ष सरकार एवं अभिभाषक गैरसायल सुनी गई।

बहस के दौरान ए.पी.पी. का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में जुआ–सट्टा खेलना व खिलाने एवं लडाई झगडा व उपद्रव करने के 4 प्रकरण पंजीबद्ध है तथा न्यायालय हाजा में प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात् 3 प्रकरण ओर पंजीबद्ध हुए है। जिसमें सभी प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्व किया गया है। इसके आचरण से समाज में भय व आंतक व्याप्त है, इसके खिलाफ कोई भी शिकायत करने से कतराते है। गैरसायल के विरूद्व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य तथा निर्णित प्रकरणों मे सजा होने से यह साबित है कि गैरसायल आदतन अपराधी है, जो गुण्डा की तारीफ में आता है। अतः इस्तगासा स्वीकार किया जावें।

इसके विपरीत गैरसायल के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस्तगासे मे वर्णित प्रकरणों में निर्णय हो चुका है। वर्तमान में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है जिन प्रकरणों का हवाला देकर प्रकरण दर्ज कराया गया है, वह सभी सामान्य प्रवृत्ति के है जिनके आधार पर गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। उसके विरूद्व वर्ष 2019 के बाद किसी भी न्यायालय में किसी भी धारा में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। थाना हाजा ने जो प्रकरण दर्ज बताये है वह भी निर्णित हो चुके है वह शांतिपूर्वक आम आदमी की तरह सुनारी का काम करके अपना व परिवार का पालन पोषण कर रहा है। थाना–अन्ता ने जानबूझ कर बिना किसी आधार के उसके विरूद्व इस्तगासा पेश किया है। उसके विरूद्व वर्ष 2019 के पश्चात् कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। जो थानाधिकारी अन्ता की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2020 उपलब्ध रेकार्ड व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से भी प्रमाणित होता है। थानाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उसका वर्तमान चालचलन ठीक बताया है। गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के प्रावधानों के तहत गुण्डा घोषित किये जाने से पूर्व छः माह में प्रकरण दर्ज होना आवश्यक है। जबकि उसके विरूद्व गत दो वर्ष से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी सदाचार, सचरित्र होकर जीवनयापन कर रहा है। इस्तगासे में अंकित तथ्य निराधार व विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त किया जावें।

हमने ए.पी.पी. व अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी व प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया तथा अभियोजन सरकार पक्ष व गैरसायल पक्ष की बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता [illegible] के विरूद्व 07 प्रकरण दर्ज हुये है, इन सभी प्रकरणों में निर्णय हो चुका है। [illegible] के विरूद्व जो प्रकरण दर्ज हुए है वह सभी प्रकरण वर्ष 2019 के [illegible] कि यदि छः माह में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है [illegible] गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। प्रकरण में गैरसायल के वर्तमान चाल चलन के संबंध में थानाधिकारी अन्ता से रिपोर्ट चाहे जाने पर, थानाधिकारी द्वारा प्रे[illegible] रिपोर्ट दिनांक 17.02.2020 में गैरसायल राजकुमार उर्फ बंटी नि. अन्ता का चाल–चलन ठीक बताया गया है। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि गैरसायल की वर्तमान में आम शोहरत ठीक है तथा वर्ष 2019 के पश्चात् कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। गैरसायल वर्तमान में एक शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप मे रह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

रहा है। अतः स्पष्ट है कि गैरसायल के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुये है व निर्णित हो चुके है। वर्ष–2019 के बाद गैरसायल के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी, लडाई झगडा, सट्टा लगाने व शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को गुण्डा घोषित नही किया जा सकता। इसलिये राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत इस्तागासे को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा गैरसायल राजकुमार उर्फ बंटी पुत्र रामस्वरूप जाति–सोनी उम्र–35 साल निवासी–भैरूपाडा अन्ता थाना–अन्ता जिला बारां (राज.) के विरूद्व प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का इस्तगासा खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां व थानाधिकारी, थाना–अन्ता को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला मजिस्ट्रेट बारां

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested